रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1984/चैत्र 13, 1906
No. 156] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1984/CHAITRA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1984

का. आ. 242(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 665(अ), तारीख 24 अगस्त, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, क्रम सं. 8 और 11 के सामने स्तम्भ 5 में, "9.92" और "5.30" अंकों के स्थान पर क्रमशः "12.84" और "7.26" अंक रखे जाएंगे ।

[सं. 9(48)/83-औषधि 2]

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1984

S.O. 242(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 665(E) dated the 24th August, 1981, namely :—

In the Table below the said Order against S. No. 8 and 11, in column 5, for the figures

"9.92" and "5.30", the figures "12.84" and "7.26" shall be respectively be substituted.

[No. 9(48)|83-Drug-II]

आदेश

का. आ. 243(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. 494 (अ), तारीख 13 जुलाई, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारिणी में, क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ 5 में, "5.40" अंकों के स्थान पर "5.42" अंक रखे जाएंगे ।

[सं. 9(48)/83-औषधि-2]

ई. एन. मूर्ति, उप सचिव

ORDER

S.O. 243(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and (Fertilizers Department of Chemicals and Fertilizers) No. SO 494(E), dated 13th July, 1982 namely :—

In the Table below the said Order, against serial number 5, in column 5, for the figure "5.40" the figures "5.42" shall be substituted.

[No. 9(48)|83-Drug. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984